राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

कुल सचिव,
महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्व विद्यालय,
अजमेर ।

क्रमांक एफ 2(21)शिक्षा/4/88 जयपुर, दिनांक 25.5.95

विषय :- टैगोर बाल निकेतन समिति अजमेर द्वारा संचालित आलोक विज्ञान महाविद्यालय, केकड़ी को सत्र 1995-96 से स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने बाबत ।

सन्दर्भ:- निदेशक, कालेज शिक्षा के अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक एफ 4(लेखा/निकाति/88/90 दिनांक 2.5.95 के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निदेशानुसार टैगोर बाल निकेतन समिति केकड़ी द्वारा संचालित आलोक विज्ञान महाविद्यालय केकड़ी को सत्र 1995-96 से स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित योग्यता एवं वेतन श्रृंखला में व्याख्याताओं की नियमित नियुक्ति कर विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

भवदीय,

ह०

विशिष्ठ सचिव(उच्च शिक्षा)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यककार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(1) निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान ।
(2) सचिव, टैगोर बाल निकेतन समिति, केकड़ी ।
(3) लेखाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग ।
(4) विशिष्ठ सहायक, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय ।
(5) निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा ।
(6) निजी सचिव, विशिष्ठ सचिव, उच्च शिक्षा ।
(7) रक्षित पत्रावली ।

(हस्ताक्षर)
विशिष्ठ/उप सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

प.2(21)शिक्षा/4/88 दिनांक :- 9 MAR 1998

कुल सचिव,
महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय,
अजमेर।

विषय:-आलोक व विज्ञान महाविद्यालय केकड़ी को सत्र 1998-99 से लिए कला संकाय खोलने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

संदर्भ:- निदेशक, कालेज शिक्षा के पत्रांक प.4(69)शैक्षा/निजी/89/462 दिनांक 6.2.98 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशक, कालेज शिक्षा के प्राप्त संदर्भित पत्र के द्वारा आलोक विज्ञान महाविद्यालय केकड़ी (अजमेर) को की गई अनुशंषा के आधार पर सत्र 1998-99 के लिये निम्नलिखित नए विषयों के साथ कला संकाय में स्नातक स्तर पर प्रारम्भ करने के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है :- (1) हिन्दी साहित्य (2) अंग्रेजी साहित्य (3) राजनीति शास्त्र (4) समाज शास्त्र (5) इतिहास (6) संस्कृत एवं (7) गृह विज्ञान।

उपरोक्त विषयों को प्रारम्भ करने की स्वीकृति पूर्व में समय समय पर जारी स्वीकृतियों में दी गई शर्तों के साथ-2 निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

(1) महाविद्यालय को महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर से सम्बन्धता प्राप्त करना होगा तथा सम्बन्धता हेतु निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।

(2) महाविद्यालय को समय-2 पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन करना होगा।

(3) प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अर्हताधारी प्राध्यापकों की नियुक्ति करनी होगी तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन व भत्तों का भुगतान करना होगा।

(4) महाविद्यालय को व वर्तमान एवं भविष्य में उक्त पाठ्यक्रम एवं अन्य कार्यों के लिए किसी भी प्रकार का अनुदान एवं सहायता राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं की जावेगी।

भवदीय

(डा.पी.एन.श्रीवास्तव)
विशेषाधिकारी (उच्च शिक्षा)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, उच्चशिक्षा मंत्रीजी (2) निजी सचिव, उच्च शिक्षा सचिव।
3. उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग (4) लेखाधिकारी (उच्च शिक्षा)
5. प्राचार्य, आलोक विज्ञान महाविद्यालय, केकड़ी (अजमेर)
6. निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली 2

7/3

विशेषाधिकारी (उच्च शिक्षा)

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक:प.2(21)शिक्षा-4/88 दिनांक : 13/8/02

कुल सचिव,
महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय,
अजमेर ।

विषय :-आलोक विज्ञान महाविद्यालय केकड़ी को सत्र 2001-02 से संचालित कला संकाय मे स्थाई ~~अना~~ अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं सत्र 2002-03 के लिये पी.जी.स्तर पर रसायन शास्त्र एवं प्राणी शास्त्र नवीन विषय प्रारम्भ करने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र बाबत ।
संदर्भ :- प.4( )(लेखा/निकाशि/2/88/1076 दिनांक 1-7-02.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशक,कालेज शिक्षा,राजस्थान, जयपुर द्वारा संदर्भित पत्र में की गई अनुशंसा के आधार पर उपरोक्त महाविद्यालय में सत्र 2001-02 से स्नातक कला संकाय में संचालित विषय हिन्दी,इतिहास, राजनीति शास्त्र,संस्कृत,समाज शास्त्र,एवं गृह विज्ञान कुल 6 विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा सत्र 2002-03 के लिये पी.जी.स्तर पर रसायन शास्त्र एवं प्राणीशास्त्र नवीन विषय प्रारम्भ करने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखत शर्तों के साथ जारी किया जाता है ।

1. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धन प्राप्त करने के बाद ही विद्यार्थियों को प्रवेश देगी ।
2. संस्था द्वारा नवीन विषयों हेतु यू.जी.सी. अर्हताप्राप्त व्याख्याता की तथा वर्तमान में जिन विषयों में यू.जी.सी. अर्हताधारी व्याख्याता नहीं है उन सभी मे शीघ्र नियुक्त करेगी ।
3. संस्था द्वारा निर्धारित एण्डोमेन्ट राशि संयुक्त खाते में जमा करानी होगी ।
4. संस्था द्वारा नवीन विषयों के अध्यापन हेतु सभी आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध करायेगी ।
5. संस्था को वर्तमान एवं भविष्य में कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी ।
6. संस्था समय समय पर सरकार के निर्देशों की पालना करेगी ।
7. विश्वविद्यालय द्वारा नवीन विषयों हेतु सीटों का आवंटन किया जाकर निदेशालय कालेज शिक्षा,एवं इस विभाग को सूचित किया जावेगा ।

भवदीय,

Sd
(डॉ.के.एल.शर्मा)
विशेषाधिकारी,उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-
1. विशिष्ट सहायक,मा0उच्च शिक्षा मंत्री जी ।
2. निजी सचिव,सचिव उच्च शिक्षा ।
3. निदेशक,कालेज शिक्षा,राज0,जयपुर ।
4. उप सचिव,उच्च शिक्षा ।
5. प्राचार्य/सचिव आलोक विज्ञान महाविद्यालय, केकड़ी ।
6. रक्षित पत्रावली

विशेषाधिकारी,उच्च शिक्षा ।

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (3) आकाशि/नि.स./1998/ 624 दिनांकः– 31/5/2

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर अकादमी **सत्र 2017–18** से निम्नलिखित महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर नवीन संकाय/विषय में **स्थाई** अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान किया जाता है:–

महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	पूर्व संचालित संकाय/विषय
आलोक विज्ञान महाविद्यालय, केकड़ी, अजमेर।	**महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।**	**अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर कला संकाय– भूगोल, चित्रकला, कम्प्यूटर विज्ञान।**

1. संबंधित विश्वविद्यालय एवं बी0सी0आई0से संबद्धत्ता प्राप्त करने का दायित्व स्वंय संस्था का होगा ।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ–2 अन्य निर्धारित शर्तो की पालना करेगी ।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
4. संस्था को समय–2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी ।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तो का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है ।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।
9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी ।
10. संस्था प्रति वर्ष आयुक्तालय/ नजदीकी राजकीय महाविद्यालय/ विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
11. संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी ।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेवपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format- II) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा । महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें । इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित बेवपार्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी ।
13. उपरोक्त शर्तो की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त

कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, अजमेर।
4. कुल सचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर ।
5. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय ।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली

संयुक्त–निदेशक (निजी संस्था)

कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर